

5-12-24 वादीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र वास्ते  
पत्रावली आज ही तलब कर लोक अदालत  
की भावना से बाहमी राजीनामे के आधार

From no |||

फॉर्म अहमदाबाद

(नियम 26)

मुकदमा-रूपनगढ़ जिला अजमेर

लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी

.....-दीदी..... बनाम अर्जुनलाल  
नंबर .....61/ वर्ष 2023


मुकदमा :- 88, 53, 188 R.T. Act

तारीख हमम	हमम या कार्यवाही का इतिहास जज	नंबर व तारीख अहमदाबाद जो हमम की तामीन में जारी हुए
--------------	-------------------------------	--

पर प्रकरण विद्रोह करनेबाबत पेश करने पर फावली तलब की गयी। वादी सं. 1, 2 स्वयं उपस्थित, जिनकी पहचान वकील वादीद्वारा की गयी। वादी सं. 1 ने आधार कार्ड सं. 522036263607 व वादी सं. 2 ने आधार कार्ड सं. 492178279818 की स्व-हस्ता-क्षरित प्रतियां पहचानस्वरूप पेश की। वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 C.P.C. वास्ते प्रकरण को लोक अदालत की भावना से विद्रोह करने बाबत पेश किया, जिस पर वादी व वकील वादी को सुना गया। चूंकि प्रकरण को वादीगण विद्रोह करना चाहते हैं, अतः वादीगण का वाद जारीये विद्रोह खारिज किया जाता है।

फावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

जादीदा  
↓  
  
I Identify  
By me  
Gyan